**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2240**

**दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी**

**†2240. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों तथा पैरामेडिकल कर्मचारियों के हजारों पद अभी भी रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में रिक्त पदों का श्रेणी-वार तथा राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन पदों पर कितनी नियुक्तियां की गई हैं;
(ग) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि अनेक सरकारी अस्पतालों में दवाओं, नैदानिक सुविधाओं, आईसीयू बेड तथा चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण मरीज निजी अस्पतालों का सहारा लेने के लिए विवश हो रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इन कमियों को दूर करने तथा सभी सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। रिक्त पदों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीर्घावधि में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार पर्याप्त संख्या में नियमित पदों का सृजन करके और महत्वपूर्ण कमियों को भरने के लिए अल्प से मध्यम अवधि में एनएचएम पदों का उपयोग

करके मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। एनएचएम आईपीएचएस के अनुसार माध्यमिक और प्राथमिक परिचर्या सुविधा केन्द्रों (जिला अस्पताल और उससे कम) में मानव संसाधनों की कमी को दूर करके नियमित मानव संसाधनों को संपूरित करता है।

देश भर के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण और राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उनकी रिक्तियों को मानव विकास सूचकांक 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf

आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आने वाले रोगियों के आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) को कम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निशुल्क औषध सेवा पहल (एफडीएसआई) शुरू की है। इसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 113 औषधियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 179, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 301, उप जिला अस्पताल स्तर पर 318 औषधियों और जिला अस्पतालों में 381 औषधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह मंत्रालय एनएचएम के अंतर्गत निशुल्क निदान सेवा पहल कार्यक्रम का समर्थन करता है जिसका उद्देश्य समुदाय के निकट सुलभ और वहनीय पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स सेवाएं प्रदान करना है, जो बदले में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) को कम करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर नि:शुल्क निदान सेवाएं प्रदान की जाती हैं (उप केन्द्रों में 14 जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 97, उप जिला अस्पतालों में 111 परीक्षण और जिला अस्पतालों में 134 जांच)।

एनएचएम के तहत, सभी सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए हार्ड एरिया भत्ते ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा करना आकर्षक लगे।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डाक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) जांच और रिकार्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलाप आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन।

- राज्यों को विशेषज्ञों को आकषत करने के लिए परक्राम्य वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "आप उद्धरण हम भुगतान करते हैं" जैसी रणनीतियों में लचीलापन शामिल है।
- एनएचएम के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के अंतर्गत डाक्टरों के बहु-कौशल को सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

*****